(9)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1602
दिनांक : 5.7.2017

संशोधित

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या–975/79–वि–1–14–1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **यूनिक लॉ कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद** को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **एल–एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01 संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

02 कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

03 संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

04 संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

05 यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एव मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को **सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय** अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को **प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार** की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 21.06.2017 के आलोक में कुलपति जी के **आदेशानुसार यूनिक लॉ कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद** को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **एल–एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में उपरोक्त **शर्तों के** अधीन **दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता** की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम मे छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, यूनिक लॉ कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

05/7/17

कुलसचिव

Secretary
Unique Law College
Muradnagar (Gzb.)

Sam1 (85)

Scanned with CamScanner

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4466
दिनांक : 20.2.2026

सेवा में,
सचिव
बार काउसिंल ऑफ इण्डिया
21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली।

विषयः– बार काउसिंल ऑफ इण्डिया की नियमावली पार्ट IV Chapter III के बिन्दु 16(1) एवं (2) के आलोक में सीटो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

यूनिक लॉ कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) एवं बी0ए0एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय) पाठ्यक्रम में असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या–975/79–वि–1–14–1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–37 की उपधारा–2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृत के आलोक में क्रमशः दिनांक 01.07.2017 से स्थाई सम्बद्धता एवं दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2028 तक अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करते हुए बार काउसिंल ऑफ इण्डिया की नियामावली पार्ट **IV Chapter III** के बिन्दु 16(1) एवं (2) का संज्ञान लेने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। यदि बार काउसिंल द्वारा संदर्भित संस्थान को शैक्षिक सत्र 2026–2027 से सीटों की अनुमति प्रदान की जाती है तो विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नही होगी।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, यूनिक लॉ कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

15.12.25

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4465
दिनांक : 20.2.2026

<u>जिस किसी से सम्बन्धित हो</u>

विश्वविद्यालय अभिलेखानुसार यूनिक लॉ कालेज,मुरादनगर, गाजियाबाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित संस्थान है। संस्थान को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2017 से स्थाई सम्बद्धता एवं बी0ए0एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय) पाठ्यक्रम दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2028 तक अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय

20.2.2026

कुलसचिव